Indian J.Soc & Pol. 03(03):2016:121-123 **ISSN 2348-0084 (PRINT)**
(Special Print Issue: September, 2016) **ISSN 2455-2127(ONLINE)**

एशिया में नाभिकीय दौड़ और उसका प्रभाव

मधुरेन्द्र प्रताप सिंह[1]
[1]एसोसियेट प्रोफेसर, रक्षा अध्ययन विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

शीतयुद्ध के बाद व्यापक सुरक्षा एवं स्थिरता, अर्थात् जनसंहारक अस्त्रों से संबंधित मामले की गारंटी के लिए नाभिकीय अस्त्रसंपन्न राष्ट्रों की संख्या पांच तक ही सीमित कर दी गई। संयोग से यही देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं। इस विशिष्ट क्लब ने सन् 1968 की एन0पी0टी0 को जनसंहारक अस्त्रों की स्थिरता की आधारशिला मानां इसके अलावा बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में नाभिकीय अस्त्र विकास के प्रति प्रभावशाली देशों ने किस तरह की प्रतिक्रिया जताई, उसका भी विश्लेषण जरूरी है। शोध पत्र इस अपरिहार्यता को पूरा करते हुए एशिया में विनाशकारी नाभिकीय हथियारों की दौड़ और उस अंचल में इस दौड़ के प्रभाव को रेखांकित करने का एक प्रयास है।

KEY WORDS: एशिया, हिरोशिमा, नागाशाकी, पोखरन, परमाणु अस्त्र

सन् 1945 में हिरोशिमा तथा नागासाकी की घटना के बाद अमेरिका ने भयावह नाभिकीय अस्त्र पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, परन्तु एक दशक के भीतर ही पूर्व सोवियत संघ ने इस एकाधिकार को चुनौती दी और उसे तोड़ दिया। सोवियत संघ ने सन् 1954 में परमाणु अस्त्रों को अपने सैन्य सिद्धान्त का अंग बना लिया। सोवियत यथार्थवाद के धर्मगुरू हेनरी किसिंजर ने उस समय इस बात पर ऐसी टिप्पणी की–''नाभिकीय क्षेत्र में हमारे (अमेरिकी) एकाधिकार को समाप्त करने में सोवियत संघ की सफलता से (अन्तर्राष्ट्रीय) रणनीतिक संतुलन पर तिजना फर्क पड़ा है उतना फर्क किसी बड़े भूभाग पर कब्जा करने से भी न पड़ता। चाहे वह भूभाग पश्चिम ही रहा हो।'(किसिंजर, 1969 पृ06)' नाभिकीय अस्त्र में निहित ताकत स्वयं में ही एक श्रेणी थी तथा सामरिक नियोजकों की पहली पीढ़ी को अभी तक समुचित प्रतिरक्षात्मक सिद्धान्तों तथा इनसे जुड़ी रणनीतियों को भी समझना था।

इस प्रकार से सन् 1964 तक नाभिकयीय अस्त्र क्लब में पांच सदस्य थे। इस घटनाक्रम या विकास के कारण ही नाभिकीय क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करने के लिए पहली बार प्रयास किया गया, अर्थात् एन.पी.टी. के संबंध में कदम उठाया गया। यह संधि प्रमुख शक्तियों द्वारा तैयार की गई थी, ताकि और अधिक क्षैतिज विस्तार को रोका जा सके। इसके तहत 1 जनवरी 1967 अंतिम तारीख निर्धारित की गई। नाभिकीय अस्त्रों की क्षमता के आधार पर देशों का वर्गीकरण किया गया और इस प्रकार नाभिकीय भेदभाव की शुरूआत हुई। इस संधि का पक्षपातपूर्ण रूप स्पष्ट था। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले नाभिकीय अस्त्ररहित देशों को अपनी नाभिकीय क्षमता का अधिकार क्षमता का अधिकार समर्पित करना जरूरी था और इस मुद्दे पर क्लब के सदस्य देश भी बंटे हुए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ तथा ब्रिटेन ने इस संधि पर आंख मूंदकर हस्ताक्षर कर दिए, जबकि चीन और फ्रांस ने मना कर दिया। चीन की प्रतिक्रिया तो एन.पी.टी. के प्रति असंतोष और इससे उत्पन्न असुरक्षा की भावना की सूचक थी।

शती के आखिरी दशक के नाभिकीय आख्यान में दो और घटनाएं जुड़ गई। मई 1995 में एक सहमत विश्व इकाई द्वारा एन.पी.टी. को अनिश्चित काल के लिए और बिना शर्त विस्तार दे दिया गया। इसने अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में भारत को और अलग–अलग कर दिया। संधि पर दस्तखत न करने वाले भारत, पाकिस्तान और इजराइल को प्रमुख बाधक समझा गया, जबकि उत्तर कोरिया संधि छोड़ने और उसके स्वरूप में बने रहने के लिए मनाए जाने की वजह से ढुलमुल स्थिति में फंसा हुआ था। एन.पी.टी. के मुद्दे पर यह क्लिंटन की बड़ी जीत थी, क्योंकि प्रमुख गैर नाभिकीय अस्त्रवाले देशों की तरफ से अन्तर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण के मुद्दे को सामने लाने का कोई साझा प्रयास न किए जाने की वजह से एन.पी.टी. के कट्टर समर्थक भी भौंचक्के थे, लेकिन इस जीत के बाद क्लिंटन प्रशासन ने जेनेवा के निरस्त्रीकरण सम्मेलन के तत्वावधान में सी.टी.बी.टी. पर चल रही वार्ताओं को महत्व दिया।

भारतीय दृष्टिकोण से, पांच घोषित नाभिकीय ताकतें यहां फिर एक मसौदा तैयार करने पर राजी हो गईं, जो हर प्रकार के नाभिकीय परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की दृष्टि से न तो विशद था और न ही इसमें भूमण्डलीय निरस्त्रीकरण के प्रति

1.Corresponding Author

वचनबद्धता थी। भारत को सन् 1993 में सी.टी.बी.टी. के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहप्रायोजक के रूप में पेश किया गया था तथा सन् 1954 में इसने सबसे पहले परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया था। लेकिन अब भारत के विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में सर्वसम्मति से तैयार मसौदे के संबंध में भिन्न हो गए थे। भारत पहले ही अपने डब्लू. एम.डी. परिवेश को लेकर चिंतित था तथा चीन–पाक संबंधों से यह चिन्ता बढ़ रही थी। इसलिए भारत एक ओर ग्लोबल संगठन का ध्यान असुरक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए विभिन्न अपीलें कर रहा था तथा दूसरी ओर भेदभावपूर्ण अस्त्र नियंत्रण के विरूद्ध निरस्त्रीकरण को मान्यता दिलाने की आवश्यकता पर बल दे रहा था। वार्ताओं के अंत में एक सुपरिचित प्रणाली सामने आई। पांच घोषित नाभिकीय राष्ट्रों ने अब अन्य व्यवस्था–सी.टी.बी.टी. तैयार की। इसका उद्देश्य अपने स्वार्थों की रक्षा तथा व्यापक सामूहिक भलाई का लक्ष्य रखते हुए पैकेज तैयार करना था। इसका अलावा एक अस्त्र नियंत्रण समझौते को निरस्त्रीकरण के रामबाण के रूप में पेश किया गया।

सन् 1996 के अंत में, डब्लू.एम.डी. के मौजूदा माहौल में अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार सी.टी.बी.टी. तैयार की गई थी और अमेरिका एवं चीन द्वारा शीतयुद्ध के बाद स्थिरता लाने के महाधिकार से, भारत की व्यापक सुरक्षा बहस में देर से यथार्थवादी दृष्टिकोण भी शामिल हुआ। आज भी भारत निरस्त्रीकरण के प्रति अंतर्निहित प्रतिबद्धता के कारण नाभिकीय मुद्दे को उच्च नैतिक नजरिए से देख रहा है। अब यह डब्लू.एम.डी. असुरक्षा और भेद्यता को लेकर चिंतित है। विडंबना यह है कि इन दो महाशक्तियों ने प्रत्यक्ष रूप से या दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में, विशेषतः पाकिस्तान से जुड़े डब्लू.एम. डी. कार्यकलापों के प्रति आँख मूंदकर समग्र रूप में सुरक्षा के आधारभूत ढांचे को विकृत कर दिया है।

यदि इस मौजूदा भूमण्डलीय माहौल में क्षेत्र के भीतर या इससे संबंधित घटनाओं से अशांति और बढ़ गई तो इसमें अमेरिका प्रशासन द्वारा पाकिस्तान के प्रक्षेपास्त्र और नाभिकीय प्रौद्योगिकी प्राप्त करने जैसे 'अप्रिय यथार्थ' को नजरअंदाज करना उत्तरदाई कारक होगा। इस संबंध में अमेरिका के पूर्व सी.आई.ए. निदेशक द्वारा दिया गया प्रमाण अधिक प्रासंगिक है। गार्डन ओहलर ने अमेरिका की विदेश मामलों की समिति को जानकारी दी थी–''क्लिंटन प्रशासन ने खुफिया दस्तावेजों को रोकने के कई उपाय किए हैं तथा इस ठोस सबूत की उपेक्षा की है कि चीन ने नवम्बर 1992 में पाकिस्तान को चौंतीस एम. –11 प्रक्षेपास्त्र दिए हैं।'' दिक्कत तलब डब्लू.एम.डी. यथार्थ को अवैध ठहराने की प्रवृत्ति जारी रखते हुए, ओहलर को सी.आई. ए. के पद से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उन्होंने पाकिस्तान द्वारा चीन की सहायता से अन्य मिसाइल (गोरी) प्राप्त करने की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया था।(डिफेंस वीकली) परन्तु इस इस मुद्दे पर अर्थात् राजनीतिक दबाव के अनुकूल नाभिकीय आख्यान को 'आकार' देने पर बाद में चर्चा की जायेगी। रोचक तथ्य है कि खंडन के बावजूद इस्लामाबाद ने मध्यवर्ती रेंज के प्रक्षेपास्त्र अर्थात् गोरी का 6 अप्रैल, 1998 में परीक्षण किया तथा दक्षिणी एशिया क्षेत्र के भीतर डब्लू.एम.डी. से होने वाली अशांति से इंकार नहीं किया जा सकता।

11 और 13 मई, 1998 को भारत के परीक्षणों से पूरा भूण्डलीय समुदाय सकते में आ गया। इस बारे में भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव द्वारा बताए गए भारतीय तर्काधार का त्वरित विश्लेषण भारत के सुसंगत रवैए का सूचक है, अर्थात् भारत ने अपने सुरक्षा संबंधी दबावों का मुकावला करने लिए, जिम्मेदार नाभिकीय राष्ट्र के रूप में आचरण करने के लिए और भूमण्डलीय निरस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने के लिए विस्फोट किया। 11 मई को दिए गए सरकारी वक्तव्य में अन्य बातों के साथ–साथ यह बताया गया–'' इन परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि भारत के पास अस्त्रीकृत नाभिकीय कार्यक्रम के लिए प्रमाणित क्षमता है। इन परीक्षणों से मूल्यवान डाटा बेस भी मिला है.....जिसकी सहायता से भारतीय वैज्ञानिक सुदृढ़ कम्प्यूटर अनुकरण क्षमता तैयार कर सकते हैं, जो सब–क्रिटिकल प्रयोगों द्वारा समर्थित होगा। यदि आवश्यक होगा तो इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयोग भी किये जा सकते हैं। इन परीक्षणों से भारत की जनता को पुनः आश्वासन मिला है कि उनके राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सर्वाधिक ध्यान रखा जाता है और इन हितों को बढ़ावा दिया जाएगा और इनकी रक्षा की जाएगी।(दी हिन्दू, 12 मई 1998) इस पाठ में यह भी जोड़ा गया कि यदि यह सुरक्षा का आयाम था तो भारत सी.टी.बी.टी. के कुछ पहलुओं तक पालन करना चाहेगा, बशर्ते नाभिकीय अस्त्रासंपन्न राष्ट्र भी इस संबंध में परस्पर नियमों का पालन करें तथा इस तथ्य पर ध्यान दें कि एन.सी.टी.पी. पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद भारत एन.सी.टी.पी. के प्रबल समर्थकों की तुलना में इस संधि की मूल भावना का समर्थन करता रहा है। इस टिप्पणी में बताया गया है–''हमें संवेदनशील प्रौद्योगिकी उपकरण और सामान के निर्यात पर, विशेष रूप से जनसंहार करने वाले अस्त्रों से संबंधित निर्यात पर कठोर नियंत्रण जारी रखना होगा। इस संबंध में हमने सही रास्ता अपनाया है।'(वही) तृतीय स्तर पर, भारत ने भूमण्डलीय निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई है तथा यह स्पष्ट किया है कि भारत

भूमण्डलीय स्तर पर नाभिकीय अस्त्रों को हटाने के प्रति अभी भी वचनबद्ध है तथा रहेगा। रासायनिक अस्त्र सम्मेलन तथा जैविक अस्त्र सम्मेलन भूमण्डलीय निरस्त्रीकरण के प्रति हमारी वचनबद्धता का सबूत है, यह व्यवस्था निष्पक्ष तथा प्रमाणिक है।(वही)

भारत और इसके बाद 28 मई को पाकिस्तान द्वारा किए गए नाभिकीय परीक्षणों के प्रभाव में शुरू से ही अनुमान की जाने वाली जवाबी कार्यवाही होने लगी। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इसके राजनीतिक सैनिक गुटों ने भारतीय कार्यवाही की निन्दा की तथा परीक्षणों के प्रति अन्य नाभिकीय ताकतों की ऐसी ही जबावी प्रतिक्रियाएं भी हुई जबकि शब्दों तथा वाक्यों का अन्तर रखा गया थां मई 1998 के परीक्षणों के प्रभाव की चार स्तरों पर जांच की जा सकती है–

(क) शीतयुद्ध के बाद राजनीति, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं तथा जनसंहारक अस्त्रों की संरचना पर पड़ने वाले प्रभाव।

(ख) प्रत्येक नाभिकीय अस्त्रासंपन्न राष्ट्र तथा सामूहिक रूप से ऐसे राष्ट्रों पर पड़ने वाले प्रभाव।

(ग) प्रमुख गैर नाभिकीय अस्त्रवाले राज्यों तथा परमाणु संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रभाव।

(घ) भूमण्डलीय निरस्त्रीकरण तथा अप्रसार विचारधारा पर प्रभाव।

शीतयुद्ध के बाद जनसंहारक अस्त्रों की संरचना को अनेक व्यवस्थाओं की श्रृंखला तथा मूल रूप में एन.पी.टी. जैसी संधियों से बढ़ावा मिला था। इसने एन.पी.टी. की जड़ों को झकझोर दिया। इसने विद्यमान विसंगतियों तथा अंतर्विरोधों को सामने ला दिया। विद्यमान विश्व की सर्वोच्च राजनीतिक सैन्य शक्ति में अर्थात् पी.एन.–5 में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों का बोलबाला था। वे ही विशिष्ट नाभिकीय क्लब के पांच सदस्य देश हैं। अमेरिका के नेतृत्व में यही विशिष्ट नाभिकीय क्लब भारत और पाकिस्तान को परमाणु अस्त्रासंपन्न स्थिति होने के बावजूद मान्यता नहीं दे रहा है तथा इस क्लब के देश में हमेशा प्रारम्भिक निचले स्तर पर ही देखना चाहेंगे, फिर भी वास्तविकता भिन्न है तथा मई 1998 के बाद, शीतयुद्धोत्तर विश्व में एन.पी.टी. वर्गीकरण पर ध्यान दिए बिना कुल सात घोषित परमाणु अस्त्रसंपन्न राष्ट्र है। हांलाकि इन परीक्षणों पर अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गठबंधन की सरकारी प्रतिक्रिया दृढ़तापूर्वक आलोचना और तीखी निदात्मक है। फिर भी कुछ 'यथार्थवादी' स्तर भी सुने जा सकते हैं। हेनरी किसिंजर ने उपमहाद्वीप में मौजूद डब्लू.एम.डी. से असुरक्षा की भावना तथा 'ताकतवर पड़ोसी' पर गौर करते हुए चेतावनी दी थी कि दोनों देश नाभिकीय अस्त्रों को सुरक्षा का आधार बनाने वाले देशों का उपदेश सुनकर अस्तित्व के संबंध में कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। उन्होंने मई 1998 के परीक्षणों को अपरिवर्तनीयता के संबंध में यह भी कहा–''नाभिकीय परीक्षणों की श्रृंखला को कोई मिटा तो नहीं सकता।''(टाइम्स आफ इण्डिया, 10 जून 1998)

''विश्व में शक्ति के धुवीकरण से तब अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में अस्थिरता आ सकती है, जब किसी सिद्धान्त को लेकर असहमति न हो तथा प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए असुरक्षा की भावना और अधिक बढ़ जायेगी। जब कभी शांति को युद्ध से बचने का तरीका समझा जाता है और वह किसी ताकत या ताकतवरों के समूह का लक्ष्य बन जाता है, तो अन्तर्राष्ट्रीय संबंध शांति चाहने वाले ऐसे देशों के वश में हो जाते हैं। किसी अन्य संप्रभु देश की सद्भावना पर किसी देश के भाग्य को पूर्णतः छोड़ देना राजनीतिज्ञता को ही छोड़ देना है, इसका अर्थ है कि किसी देश का अस्तित्व उसके नियंत्रण में न होकर अन्य देश पर निर्भर होता है। इसलिए शांति प्रत्यक्ष लक्ष्य नहीं हो सकती है। यह कतिपय शर्तों तथा शक्तिशाली देशों के संबंधों की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से हमें राजनय के इन संबंधों को देखना है, न कि शान्ति को।''

संदर्भ

किसिंजर, हेनरी, ए (1969). : *न्यूक्लिर वैपंस एण्ड फॉरेन पॉलिसी,* न्यूयार्क एण्ड लंदन, डब्लू.डब्लू., नॉर्टन,

पाकिस्तांस न्यू डेजर वैपन इज कंफर्म्ड, जोंस, *डिफेंस वीकली,* 3 दिसम्बर, 1998,

इंडिया हैज प्रूवन कैपेबिलिटी, *हिन्दू* में पी.टी.आई. समाचार, 12 मई, 1998

इंडो–चाइना न्यूक्लियर वार इंप्रोबेबल, सेज किसिंजर, *टाइम्स ऑफ इंडिया,* 10 जून 1998